28/03/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र पुन: दिनांक 09/04/25 को पेश हो।

[signature]

09/04/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act r.w. O. 39 R 1 & 2 cpc के प्रा०पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :-

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- प्रार्थी० प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम शेरपुर हल्का शेरपुर की वादग्रस्त आराजी ख० न० 25, 31, 52, 82, 98, 127, 189, 862, 890, 892, 984, 999, 1002, 1071, 1072 कुल किता 17 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम 1 कालूसिंह के पिता यानी प्रार्थी के परदादा बापू पिता देवजी सोंधिया के खाते दर्ज थी जो विरासत मे जारिए फौती नामा० स० 214 दिनांक 15/01/1983 से उनके पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 कालूसिंह एवं रामसिंह के खाते दर्ज हुई थी। अत: वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है। अप्रार्थी क्रम 1 के एक पुत्र अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4 पुत्रियाँ अप्रार्थी क्रम 2,4,5,6 है। अत: प्रा०पत्र के मद क्रम 3 मे वर्णित आराजी खाता स० 65, 398, व 399 के [illegible] आराजी होने से प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार [illegible] है। उक्त आराजी मे अप्रार्थी क्रम [illegible] हिस्से [illegible] वास्तविक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम [illegible] काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रम 2,4,5,6 शादी होकर अपने-अपने ससुराल मे रहती है। अत: वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के Notional share हिस्सा 1/7 तक प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] अप्रार्थी क्रम 6 व 7 ने आमि० प्रार्थी की [illegible] का समर्थन करते हुऐ कथन किया कि [illegible] वर्णित आराजी प्रार्थी की पैतृक संपति है जिससे प्रार्थी, व अप्रार्थी क्रम 6 व 7 का The Hindu Succession Act के अनुसार जन्म से ही हक व अधिकार निहित है जबकि अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 मिलकर वादग्रस्त पैतृक आराजी का बेचान/दान/हक त्याग कर खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है। अतः वादग्रस्त आराजी पर तफैसलामूलवाद स्थगन जारी किया जावे।

आमि० अप्रार्थी क्रम 1 से 5 ने उक्त बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि ग्राम शेरपुर की वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज है और सम्पूर्ण भूमि पर कब्जाकाश्त है। अप्रार्थी क्रम 1 के जीवित रहते हुऐ उसके सुपौत्र (पोता) प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधि० से कोई हक व अधिकार निहित नही है। प्रार्थी के पिता बालूसिंह के खाते कोई भूमि नही है अतः प्रार्थी का कोई हक नही बनता है। अप्रार्थी क्रम 2 हिस्सा 1/4 का recorded Khatedar कृषक है, जो उसे अपने पिता से दान मे प्राप्त हुई थी। रजि० दान पत्र को खारिज करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायलय को है।

आमि० उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शेरपुर की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2030-33 के अनुसार ख० नं० 31, 52, 82, 98, 127, 189, 862, 890, 892, 984, 999, 1008, 1021 व 1079 [illegible] 14 रकबा 38-07 बीघा भूमि बापू वल्द [illegible] सौंधिया के खाते दर्ज [illegible] ग्राम [illegible] जमा० सं० 214 दिनांक 15/01/1983 से बापू [illegible] के फौत होने पर अप्रार्थी क्रम 1 व इनके भाई रघुसिंह के सहखाते दर्ज हुई थी। इसी प्रकार ग्राम शेरपुर के ख० नं० 25 रकबा 11-09 बीघा मे भी बापू वल्द डेवजी का हिस्सा 1/4

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज रिकार्ड जो विरासत से अप्रार्थी क्रम 1 को हिस्सा 1/8 प्राप्त हुआ था। उभयपक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1 का सुपौत्र(पोता) और अप्रार्थी क्रम 3 कालूसिंह के पुत्र है। कालूसिंह के अन्य कोई पुत्र, पुत्री है या नहीं - स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रार्थी का कथन है कि वह एकमात्र वारिसान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम शेरपुर की वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के लिये ancestral property (prima facie) जाहिर होती है। अप्रार्थी क्रम 1 के एक पुत्र अप्रार्थी क्रम 3, एवं 04 पुत्रियाँ - अप्रार्थी क्रम 2, 4, 5 व 6 है। एक बेवा है। अतः The Hindu Succession Act के प्रावधानों अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 कालूसिंह की पैतृक संपत्ति में 1/6 भाग Notional share निहित होगा। यदि प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम 3 का एकमात्र पुत्र मान भी लिया जावे तो प्रार्थी का maximum Notional share $1/6 \times 1/2$ यानी 1/12 भाग होगा। प्रार्थी द्वारा गवाह के शपथ पत्रों AW1 से AW7 के आधार पर भी जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी 1 व 3 की पैतृक आराजी है और वर्तमान (recent record) रिकार्ड में अप्रार्थी 1 के खाते दर्ज भूमि खाता सं0 399 किता 1 हिस्सा 1/8, खाता सं0 398 हिस्सा 1/4 व खाता सं0 65 हिस्सा 1/4 पर प्रार्थी क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम 7 का कब्जाकाश्त है। अप्रार्थी क्रम 1 ने खाता सं0 65 किता 1 एवं खाता सं0 398 किता 12 में से अपना आधा हिस्सा यानी कुल 1/4 का दान जरिये रजि0 दानपत्र दिनांक 09/01/24 से अपनी पुत्री अप्रार्थी क्रम 2 रोडी [illegible] को कर दिया और अप्रार्थी क्रम [illegible] वर्तमान में हिस्सा 1/4 का recorded Khatedar co-[illegible] उभयपक्ष की बहस के अनुसार अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 से 3 कब्जाकाश्त होना जाहिर होता है। प्रार्थी द्वारा Registered gift deed को किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय मे चुनौती दिया जाना भी जाहिर नही होता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 की वादग्रस्त आराजी मे दानपत्र से पूर्व के हिस्से मे से हिस्सा 1/6 यानी कुल हिस्सा 1/12 तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- वर्तमान वादग्रस्त आराजी मे हिस्सा 1/12 तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थी क्रम 1 के मूल हिस्से 1/2 मे से 1/4 पर प्रार्थी व अप्रार्थी 7 का कब्जाकाश्त एवं शेष 1/4 (रोडीबाई) भाग पर अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 का कब्जाकाश्त होना जाहिर होता है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 ने अपनी भूमि को 1,60,000/- रुपये मे किसी के यहां रहन (गिरवी) रखी हुई थी जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी 7 द्वारा अपनी आर्थिक संपत्ति से repayment कर रहनमुक्त करा कर फसल काश्त की गई है। प्रार्थी द्वारा पेश स्वयं के शपथ पत्र के साथ-साथ PW1 से AW7 के शपथपत्रों के आधार भी अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आधी भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 7 का कब्जाकाश्त एवं शेष आधी भूमि पर अप्रार्थी 1 से 3 का कब्जाकाश्त होना जाहिर होता है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 ना केवल शेष बची भूमि के बेचान/दान पर आमदा है बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी 7 (अप्रार्थी 1 की पुत्रवधू) को कब्जेकाश्त से बेदखल करना भी चाहता है। अप्रार्थी क्रम 1 से 5 का कथन है कि अप्रार्थी 1 को अपने खाते की भूमि पर सम्पूर्ण [illegible] कानूनी रूप से निहित है। प्रार्थी [illegible] है। अप्रार्थी 3 का कथन है [illegible] Notional share claim नहीं किया है तो प्रार्थी [illegible] कोई हक नहीं होता। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर दोनो पक्षों के मध्य कई बार लडाई-झगडे हो चुके है और न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट, पिडावा द्वारा शांति बनाये

हुक्म की तालीम में जारी हुए

रखने हेतु पाबंद (bond) भी किया गया है और भविष्य में भी लड़ाई होने की संभावनाएं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के notional share तक ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- यदि अप्रार्थी 1 या 1 से 5 प्रार्थी के Notional share व काश्तकाश्त की भूमि का बेचान, दान आदि करते है या फिर प्रार्थी को काश्तकाश्त से बेदखल कर भूमि खुर्द बुर्द करते है और प्रार्थी को उसके पैतृक हक व अधिकारों से वंचित करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 से 5 को तादैसलामुलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम शेरपुर की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 399 में अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से 1/8 के 1/6 यानी कुल 1/48 भाग एवं खाता सं० 398 किता 12 में अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से 1/4 का 1/3 यानी 1/12 भाग तथा खाता सं० 65 में अप्रार्थी 1 के हिस्से 1/4 में से 1/3 यानी कुल 1/12 भाग के राजस्व रिकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखेंगे (बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने पर) एवं इतने ही भाग (हिस्से) में प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यह आदेश वाद निर्णय होने तक या इससे पूर्व कम होकर मुलवाद के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
सिमलिया जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी * जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner